

इन्दिरा कला संगीत विश्व विद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)



नामांकन (ENROLMENT) हेतु आवेदन पत्र
वर्ष - 2024 - 25

नामांकन क्रमांक	
Enrolment No.	

यह आवेदन पत्र सहायक कुलसचिव (परीक्षा) की ओर निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अवश्य पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् विलम्ब शुल्क रु. 80/- के साथ स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रति,

सहायक कुल सचिव, (परीक्षा)
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,
खैरागढ़ (छ.ग.)

महोदय,

विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराने के लिए आवेदन करता/करती हूँ। निर्धारित शुल्क रु. 73/- बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक के द्वारा जमा कर दिया/दी हूँ।

सभी पूर्तियाँ प्रार्थी के द्वारा की जानी चाहिए

1. नाम हिन्दी में (अंग्रेजी में)
2. जन्मतिथि (अक्षरों में) (अंकों में)
3. पिता/पति का नाम
4. माता का नाम
5. पालक का नाम एवं पता
6. यदि प्रार्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो तो
7. धर्म राष्ट्रीयता जाति
8. पाठ्यक्रम जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है वर्ष दर्शायें :- बी. म्यूज/डॉस, बी.ए. (ऑनर्स) एम.ए./एम. म्यूज./डॉस, बी.एफ.ए./एम.एफ.ए. (चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, एप्लाइड आर्ट)
9. कंठसंगीत, सुगमसंगीत, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी, तबला, सितार, बेला, सरोद, गिटार, सारंगी, बांसुरी दिलरुबा, लोकसंगीत, चित्रकला, कम्प्यूटर इत्यादि जो भी विषय हो, उल्लेख करें।
10. मातृभाषा
11. संस्था / महाविद्यालय का नाम जहाँ छात्र / छात्रा अध्ययनरत है
12. संस्था / महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि

छात्र/छात्रा इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से करें

13. प्रार्थी द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा का विवरण -
 1. संगीत में - अ - परीक्षा का नाम
ब - उत्तीर्ण करने का वर्ष
स - संस्था का नाम
 2. शैक्षणिक योग्यता - अ - परीक्षा का नाम
(जैसे प्रायमरी, मिडिल) ब - उत्तीर्ण का वर्ष
हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स - संस्था/बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम
बी.ए., एम.ए.) इत्यादि जो भी (अनिवार्य रूप से पूर्ति की जावे)

नोट :- संगीत / शैक्षणिक योग्यता संबंधी पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सभी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें।
मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार त्रुटि पाई गई तो मेरा नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

इन्दिरा कला संगीत विश्व विद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

(नामांकन क्रमांक के स्थान को छोड़कर अन्य सभी उल्लेख अभ्यर्थी स्वयं करें)

नामांकन (ENROLMENT) पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु. छात्र/छात्रा

को जो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्ययनरत है, इस विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा के रूप में नामांकित किया गया है तथा उनका नामांकन क्रमांक है।

दिनांक

सत्यमेव जयते

प्रमाण - पत्र

मैने श्री/श्रीमती /कु. कक्षा वर्ष
के नियमित विद्यार्थी के नामांकन आवेदन पत्र की सम्यक जाँच कर ली है। नामांकन आवेदन पत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत अंकसूची /प्रमाण पत्र सहित, जिसके आधार पर नामांकन की पात्रता रखता है, अग्रेषित है।

शिक्षण विभाग के प्रमुख /महाविद्यालय के
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

अभ्यार्थी के लिए निर्देश

- (1) नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाना आवश्यक है।
 1. बी. ए. (ऑनर्स) (संगीत/नृत्य) प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष
 2. बी. म्यूज/ डांस प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)
 3. बी.एफ.ए. (चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, एप्लाइड आर्ट) चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम
 4. एम. एफ. ए. (चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, एप्लाइड आर्ट) चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम
 5. एम.ए. (संगीत/नृत्य) भाग- 1 एवं भाग-2, एम.ए. (संगीतशास्त्र)
 6. एम. म्यूज/एम.डांस भाग - 1 एवं भाग - 2
 7. एम. ए. (भारतीय कला का इतिहास एवं संस्कृति)
 8. एम. ए. (लोकसंगीत) भाग - 1 एवं भाग - 2
 - (2) नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क रु. 73/- है तथा शुल्क रु. 80/- है।
 - (3) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में सभी पूर्तियाँ स्पष्ट रूप से सुवाच्य अक्षरों में भरी जावें।
 - (4) बिना नामांकन के कोई भी छात्र विश्वविद्यालय के उपर्युक्त परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता।
 - (5) नामांकन पत्र में केवल नामांकन क्रमांक ही विश्वविद्यालय द्वारा भरा जावेगा।
 - (6) नामांकन हो जाने मात्र से ही छात्र को परीक्षा में बैठने की पात्रता प्राप्त हो गई है, ऐसा न समझा जावे। यदि परीक्षा आवेदन पत्र के जाँच करते समय यह पाया गया कि छात्र का नामांकन पत्र गलत रूप से अग्रेषित हुआ है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगा तथा उसका नामांकन निरस्त किया जायेगा।
 - (7) नामांकन क्रमांक का उल्लेख परीक्षा आवेदन पत्र पर किया जाना आवश्यक है।
 - (8) नामांकन आवेदन पत्र के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न कर अनिवार्य रूप से भेजा जावें।
- टीप :- विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए भी उपरोक्त नियम लागू होंगे।